

फोन टैपिंग की वैधता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर वर्षाभासी नरिणय दिये किये सरकार अपराधों को रोकने के लिये, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों (जैसे रश्वतखोरी) के मामलों में, कानूनी रूप से फोन टैप कर सकती है।

फोन टैपिंग से संबंधित प्रमुख बंदि क्या हैं?

- **परचिय:** फोन टैपिंग का तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा बना संबंधित व्यक्तियों की जानकारी या सहमत कि टेलीफोन वार्तालापों की नगिरानी या रकिॉर्डिंग करने से है।
 - यह आमतौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा, खुफिया जानकारी या कानून प्रवर्तन के उद्देश्यों से किया जाता है।
- **फोन टैपिंग से संबंधित कानून:**
 - **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:** धारा 5(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में फोन कॉल को इंटरसेप्ट (अवरोधन) करने की अनुमति है।
 - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह डिजिटल संचार (जैसे- ईमेल, व्हाट्सएप आदी) की नगिरानी को नयित्तर करता है।
 - **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898:** यह डाक संचार पर लागू होता है।
- **फोन टैपिंग के वरिद्ध सुरक्षा उपाय:** भारतीय टेलीग्राफ नयिम, 1951 के नयिम 419A में फोन टैपिंग के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं, जसिमें दुरुपयोग की जाँच के लिये एक समीक्षा समिति भी शामिल है।
 - नगिरानी संवधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार ही होनी चाहिये, विशेषकर: अनुच्छेद 19(1)(a)- अभवियक्ती की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21-जीवन और गोपनीयता का अधिकार (जैसा कि पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार नरिणय, 2017 में मान्यता प्रदान की गई है)।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला:** 2020 में अदालत ने पुष्टि की कि किसी अपराध को भड़काने से रोकने के लिये नगिरानी कानूनी रूप से अनुमेय है और यह फैसला सुनाया कि कानून के तहत फोन टैपिंग उचित थी।
 - कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा का वषिय है।
- **मद्रास उच्च न्यायालय का नरिणय:** 2018 में People's Union for Civil Liberties (People's Union for Civil Liberties 2018, 1997) 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा करने में वफिल रही है।
 - इसमें यह भी कहा गया कि फोन टैपिंग गैर-कानूनी थी क्योंकि यह 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा करने में वफिल रही है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय, 1997:** 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार:
 - केवल केंद्र या राज्य के गृह सचवि ही फोन टैपिंग को अधिकृत कर सकते हैं। संयुक्त सचवि के पद से नीचे के किसी व्यक्ती को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।
 - प्रत्येक फोन-टैप आदेश की समीक्षा एक समीक्षा समिति द्वारा दो महीने के भीतर की जानी चाहिये, जसिमें नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - केंद्र में: कैबिनेट सचवि, वधि सचवि, दूरसंचार सचवि।
 - राज्य में: मुख् सचवि, वधि सचवि तथा एक अन्य सदस्य (गृह सचवि को छोड़कर)।
- **साक्ष्य की असवीकार्यता:** यदि फोन-टैप आदेश गैर-कानूनी है, तो एकत्रित जानकारी न्यायालय में असवीकार्य है, जसिसे गोपनीयता और मुक्त भाषण जैसे अधिकारों की रक्षा होती है।

